FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बायतु

फकीराराम बनाम पूनाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० आवेदन नं. 54/20 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/03/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री घमण्डाराम सारण ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 24/03/2020 को पेश हो। [illegible] 5/3/2020	85 5/03/2020
24/03/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 29/06/20 को पेश हो।	सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
29/06/20	पत्रावली आज पेश हुई। कोविड-2019 के चलते कोर्ट नहीं लिया गया श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 28/07/2020 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.09.11 17:32:35 IST
Reason: SelfAttested

20/07/2020 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय नियमानुसार तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अत: वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 18/08/2020 को पेश हो।

18/08/2020 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनु०। श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश में पधारे हुए है अत: मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 26/08/2020 को पेश हो।

26/08/2020 प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत सेरा सेल आये हुए है प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के बिच जो पुरानी मार्के ~~ब~~ कायम हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है। जिस कारण प्रार्थी को अपने खेत के लेनो का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। खेत के लेनो को लेकर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है। इसलिये प्रार्थी को अपने खेत की पक्की पैमाइश करवाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का पैमाइश आवेदन स्वीकार किया जाकर पैमाइश आदेश किया जावे।

अत: प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पैमाइश आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बंधित भू० अभि० निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी [illegible] खेतो की पक्की पैमाइश मौके पर [illegible] करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर [illegible] फैसल शुमार हो, दाखिल दफ्तर हो।

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.09.11 17:32:35 IST
Reason: SelfAttested
Signature Not Verified

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला बाड़मेर

क्रमांक / आवेदन / 2020 / 543 दिनांकः– 31/08/2020

राजस्व आवेदन संख्या –54 / 2020

प्रार्थीगण **बनाम** **विप्रार्थीगण**

श्री फकीराराम पुत्र मंगलाराम
वगैरा 3 जाति मेघवाल
निवासी–बोड़वा,
तहसील–बायतु जिला–बाड़मेर

श्री चुनाराम पुत्र लाधूराम वगैरा 19,
निवासी–बोड़वा, तहसील–बायतु
जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा बोड़वा, पटवार मण्डल बोड़वा, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर खेत खसरा नम्बर 680 / 396, 681 / 396, 682 / 396 रकबा क्रमशः 0.0809, 0.6148, 14.3759 हैक्टेयर की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांकः– 31/08/2020

क्रमांक / आवेदन / 2020 / 544-548

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, बोड़वा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री फकीराराम पुत्र मंगलाराम वगैरा 3।
4. विप्रार्थीगण श्री चुनाराम पुत्र लाधूरान वगैरा 19।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.09.11 17:32:35 IST
Reason: SelfAttested